

संख्या

7047

17-12-13



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 2216 / 20/3-14

फाइल संख्या सु - 35002

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरजमुरवी शिंदे समिति

निकट रेलवे स्टेशन शान्ती नगर सटा

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1858/2003-04

दिनांक 16-12-2003 को दिनांक 16-12-2013 से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

₹ 1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 16-12-2013

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

हरियाणा प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 फर्म्स नियन्त्रक-1.02.2009-(419)-2.000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

राधिका
सोसाइटी महाविद्यालय
हरिद्वारपुर खुर्द, एटा

स्मृति-पत्र

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1-संस्था का नाम- | श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति । |
| 2-संस्था का पता- | निकट रेलवे स्टेशन शान्तीनगर एटा । |
| 3-संस्था का कार्यक्षेत्र- | सम्पूर्ण उ०प्र० होंगा । |
| 4-संस्था के उद्देश्य- | |

चिन्ता

बालिका शिक्षा
विद्यालय
निकास

सहायक
उपनिवेश
पिपरा
नदी
बिगाड़
21/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
30/10/2017

1- संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

उच्च शिक्षा विकास हेतु स्कूल कालेज डिग्री कालेज एवं अन्य तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।

3- संस्था का उद्देश्य विधवा, अनाथ अपंग अंगुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीडा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना । एवं शैक्षिक विद्यालय प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना ।

संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निशुल्क व्यवसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण देकर ~~उन्हें~~ आत्म निर्भर एवं योग्य बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।

5- कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना ।

6- समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, नदानिषेध कार्यक्रम चलाना ।

7- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कलाई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, झाड़ंग पेंटिंग नूला प्रशिक्षण, तथा टंकण, आशुतिपि,संगीत एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर ~~उन्हें~~ आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूकता पैदा करना । साप्ताहिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय संस्कृति का प्रशिक्षण देना ।

8- शिक्षा के उत्तमतर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इंटर मीडिएट कालेज की स्थापना करना व चलाना ।

वृत्त प्रतिनिधि
उप निदेशक
विश्व कृषि कर्म तथा होडाकरी
कार्य क्षेत्र, एटा
16-12-23

सी०एस० महाविद्यालय
हरचन्दपुर खुर्द, एटा

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है-

क्रम सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री बलवीर सिंह पुत्रश्री फूल सहाय	डी-17 जी.आई.सी. कालोनी एटा	अध्यक्ष	सेवारत
2-श्री विद्याल पाल सिंह पुत्रश्री भूप सिंह	मो० हालीपुरा एटा	उपाध्यक्ष	व्यापार
3-श्री चरण सिंह पुत्रश्री प्रेमपाल सिंह	बिकेट रेलवे स्टेशन शान्तीनगर एटा	सचिव	व्यापार
4-श्रीमती नीलेश पत्नीश्री मनमोहन सिंह	ग्राम हरचन्दपुर खुर्द पो० नगलाधनू एटा	उपसचिव	गृहणी
5-श्रीमती रमणलता पत्नीश्री राजनीश	ग्राम हरचन्दपुर खुर्द पो० नगलाधनू एटा	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6-श्री उदयवीर सिंह पुत्रश्री शौनभोलाल	नगला लालसिंह पो० टिमरूआ जिला-एटा	लेखापरीक्षक	कृषि
7-श्री दिनाश सिंह पुत्रश्री रूकमपाल सिंह	ग्राम गौजपुर पो० पिदौरा जिला-एटा	सदस्य	कृषि
8-श्री शिव कुमार सिंह पुत्रश्री गौरी सिंह	ग्राम व. पो० जौहरा जिला-एटा	सदस्य	समाजसेवा
9-श्री मदन लाल पुत्रश्री सिंगाराम	ग्राम हरचन्दपुर पो० परसौन जिला-एटा	सदस्य	कृषि
10-श्री रामसेनक पुत्रश्री नरान सिंह	ग्राम शिवसिंहपुर पो० जारखी जिला-फिरोजाबाद	सदस्य	समाजसेवा
11-श्री सुनील कुमार पुत्रश्री पूरन सिंह	ग्राम उमदपुर पो० एका जिला-फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
12-श्रीमती ऊषा पत्नीश्री विवेक यादव	ग्राम व. पो० लहरा जिला-एटा	सदस्य	गृहणी
13-श्री प्रेमपाल सिंह पुत्रश्री धीरी सिंह	ग्राम हरचन्दपुर खुर्द पो० नगलाधनू एटा	सदस्य	कृषि
14-श्रीमती शशी पत्नीश्री उमेश चन्द्र	मो. हालीपुरा एटा	सदस्य	गृहणी
15-श्री कुंवरपाल सिंह पुत्रश्री धारा सिंह	ग्राम हरचन्दपुर कलौं पो० छछैना जिला-एटा	सदस्य	कृषि

6-हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि उक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि०-21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन करना चाहते हैं।

दिनांक- 30-11-2003

रुक्मिणी

विद्याल पाल सिंह
सचिव

लेखालाल
उपाध्यक्ष
विद्याल पाल सिंह
सचिव
रुक्मिणी
कोषाध्यक्ष

सचिव
सी०एस० महाविद्यालय
खुर्द, एटा

नियमावली

- 1-संस्था का नाम- श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति ।
- 2-संस्था का पता- निकट रेलवे स्टेशन शान्तीनगर एटा ।
- 3-संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
- 4-संस्था के उद्देश्य- रांलग्नक स्मृति पत्र के अंकितानुसार ही होंगे ।
- 5-संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चंदा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे ।
जो निम्न वर्ग के होंगे -


संरक्षक सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5000/-रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

आजीवन सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एकमुश्त 10,000/-रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को 250/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे व इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य- ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का धन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तैयार रहते हों व जो विद्वान होंगे संस्था द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जन्मप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न

संस्था के
सदस्यों के
विवरण के लिए
लिखत पत्र
लेखनीय
होना



- 6-सदस्यता की समाप्ति-1-सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
- 2-आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
- 3-किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
- 4-सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
- 5-संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताने अनुपस्थित रहने पर ।
- 6-किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।
- 7-सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7-संस्था के अंग-(अ) साधारण सभा (ब) प्रबंधकारिणी समिति ।

संस्था प्रतिनिधि

संस्था के अध्यक्ष
श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति
16-12-03

सचिव
श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति
हरमन्दपुर खुर्द, एटा

8-साधारण सभा-

(अ) गठन- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।


(ब) बैठकें- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना-अवधि-साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी ।

(द) गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि-संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी ।

Handwritten notes in Hindi: "संस्था के अधिकार एवं कर्तव्य", "संस्था की प्रवन्धकारिणी समिति का समय-समय पर चुनाव सम्मान कराना", "निगमा विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना", "वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना", "अध्यक्ष", "सचिव", "16-12-03".



9-प्रवन्धकारिणी समिति-

(अ) गठन-प्रवन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से 15 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रवन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक लेखापरीक्षक एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी ।

(ब) बैठकें-प्रवन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना-अवधि- प्रवन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

Handwritten notes and signature: "संस्था प्रतिक्रिया", "सचिव", "16-12-03".

Handwritten signature and stamp: "सचिव", "सी०एस० महाविद्यालय", "हरमन्दार खुर्द, एटा".

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति-प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकरिष्क स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

Handwritten signature/initials.

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1- संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों का सुलझाना ।
- 2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन सुधारण आदि 2/3 बहुमत से कर उन्ने साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।
- 3- वार्षिक वज्रद व वार्षिक कार्यकला की रूप रखा तैयार करना ।
- 4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तसहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्या पर व्यय करना ।
- 5- संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

(ल) कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा ।

10- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-



- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
- 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
- 3- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत वगैरों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।
- 4- संस्था की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

सचिव-

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
- 2- संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
- 3- संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
- 4- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही को पेशी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
- 5- संस्था के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/विद्यालयों में कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं को नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, भतन भर्तें तय करना व उसका भुगतान करना ।
- 6- संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, भेगों, ड्राफ्टों व धक विलेखों विल-याचनारों पर हस्ताक्षर करना ।
- 7- संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

बन्ध प्रतिविति

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including '16-12-03'.

Handwritten signature and name 'सी०एस० महाविद्यालय हरचन्दपुर खुर्द, एटा'.

उपसचिव- संस्था के सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष- 1-संस्था के आग-व्याग का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आग-व्याग वही पत्रों को तैयार करना ।
2-संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।
3-सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व विल वाक्यूत्रों का भुगतान करना ।

लेखापरीक्षक- संस्था के आय व्याग को सत्र समाप्ति पर जाँच कर उसका आडिट करना आडिट रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

Handwritten notes in Hindi: "लेखापरीक्षक", "11-संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-", "संस्था के निगमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सासा0रनि0अधि0 की संगन धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।", "12-संस्था का कोष", "13-संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)", "14-संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-", "15-संस्था के अभिलेख:-", "16-संस्था का विघटन-".

11-संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के निगमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सासा0रनि0अधि0 की संगन धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12-संस्था का कोष- संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम पर खाना खोलकर जमा किया जाएगा । जिसका संचालन संस्था के सचिव के हस्ताक्षर से होगा ।

13-संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)- संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा कराया जावेगा ।

14-संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व- संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावगी ।

15-संस्था के अभिलेख:- 1-सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर ।
3-कैशबुक रसीद बुक, एजेण्डा रजिस्टर 4-निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

16-संस्था का विघटन-संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सासाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जावगी ।

दिनांक-30-11-2003

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

Handwritten signature

Handwritten signature and date: 16-12-03

Handwritten signature

Handwritten signature

कार्यालय उपनिबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
12-ए/339-आवास विकास कॉलौनी, सिकन्दरा योजना आगरा

पत्रांक- 1632 / ए0जी0-35002/आगरा दिनांक- 24.3.15

सेवा में,

श्री चरन सिंह/सचिव
श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति
निकट रेलवे स्टेशन शान्ती नगर, एटा।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 08.03.2015 के साथ संलग्न शपथपत्र के आधार पर अवगत कराना है कि संस्था श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति निकट रेलवे स्टेशन, शान्ती नगर एटा की पंजीकरण संख्या 1853/2003-04 दिनांक 16.12.2003 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 21 सन् 1860 के अन्तर्गत अव्यवसायिक, अलाभकारी एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया गया है।

भवदीय
(ए0जी0 सिंह)
उपनिबंधक
12-ए/339-आवास विकास कॉलौनी
सिकन्दरा योजना आगरा

सचिव
सी0एस0 महाविद्यालय
हरचन्दपुर खुर्द, एटा